

मूल वाद में अंतिम डिक्री

बमुकद में ईब्दाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी - राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 77/2022

वाद पत्र अं. धारा - 88/53 आर.टी.ए.

परमजीत कौर पत्नी सुखदेवसिंह जाति कुम्हार निवासी
भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादिया

बनाम

1. कृपालसिंह 2. कलवंत सिंह पि. नरसिंह 3. नारायण सिंह पुत्र
नन्दसिंह 4. सुखपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह 5. रामसिंह 6
सुखविन्द्रसिंह पि. बलदेवसिंह समस्त जाति कुम्हार निवासी
भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 7.
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा एवं तकसीम खाता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं.....


दिनांक 15.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 श्री राजेश बुड़ानिया, प्रति.सं. 3 ता 6 श्री बलवीर सिहाग एडवोकेट एवं प्रति.सं.7 राज पैरोकारत हसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं तहसीलदार भूअ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक - प्रा.डिक्री/भूअ./2023/3438 दिनांक 16.08.2023 के मुताबिक अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है -

चक 1 के.एस.डी. खाता सं. 30/89 में कुल रकबा 2.277 है. में मौके पर कब्जा-काश्त की भूमि -

1. परमजीतकौर पत्नी सुखदेवसिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली प.नं. 169/118 मु.नं.71 कि.नं. 15/0.253 है., प.नं. 170/118 मु.नं. 72 कि.नं. 5/1/0.190, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 5/3/0.038 गै.मु. रास्ता, 24/0.253 है., प.नं. 171/118 मु.नं. 73 कि.नं. 10,11/0.506 है. कुल रकबा 1.265 है. मय गै.मु.
2. सुखविन्द्रसिंह-रामसिंह पि. बलदेवसिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली- प.नं. 170/118 मु.नं. 72 कि.नं. 4/1/0.215, 4/2/0.038 गै.मु. रास्ता, कुल रकबा 0.253 है. मय गै.मु.

कृ.पृ.उ.-2



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. कृपालसिंह—कलवंतसिंह पि. नरसिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली 0.665 है., नारायणसिंह पुत्र नंदसिंह 0.047 है., सुखपालसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह 0.047 है. जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली प.नं. 170/118 मु.नं. 72 कि.नं. 11/0.253 है., 14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. कुल रकबा 0.759 है. मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंमन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ./2023/3438 दिनांक 16.08.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निजX..... मुक्लिकX..... बाबत 100/-..... खर्चा मुकददमें के मय शूद या शरह, फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तकX..... को अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 15.3.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया